दिनांकः 31-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल व निशांदेही पर चोरी की 03 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2024 को वादी संजय पुत्र राम स्वरुप निवासी आर के पुरम गली नं0 04,सैक्टर 32, जिला करनाल हरियाणा ने एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 05 AW 5988 स्पलैण्डर चोरी कर लेने के संबंध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 203/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियन्त्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण **1. रोहित उर्फ छोटू पुत्र बुच्चा निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 2. आजम उर्फ वारिश उर्फ निजू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 3. शकील पुत्र वकील निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर 4. शावेज पुत्र जाकिर निवासी अवदान नगर थाना झिझांना जनपद शामली को** नकुड़ रोड़ पशु पैठ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 चोरी की मोटर साईकिल तथा इनकी निशादेही पर चोरी की 03 मोटर साईकिल तितरो रोड़ पर कमेला के पीछे खेत से बरामद की गयी। बरामद मोटर साईकिलों में से 01 मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 05 AW 5988 स्पलैण्डर थाना गंगोह के मु0अ0सं0-203/24 धारा 379 भा.द.वि से सम्बन्धित है ।बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0- 205/24 धारा 411/414 भादवि** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मानननीय न्यायलाय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम सभी कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हमें अक्सर पैसो की तंगी रहती है।इसलिये हम चारों मिलकर हरियाणा राज्य व सहारनपुर के क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और मौका मिलने पर चोरी की मोटरसाइकिल को आस पास के क्षेत्रों में कम कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।हम मोटरसाइकिल चोरी कर तितरों रोड़ के पास जंगल में छुपा देते थे और मौका मिलने पर बेच देते थे। आज जब हम मोटरसाइकिल बेचने जा रहे थे तभी पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

(1) रोहित उर्फ छोटू पुत्र बुच्चा निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) आजम उर्फ वारिश उर्फ निजू पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(3) शकील पुत्र वकील निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(4) शावेज पुत्र जाकिर निवासी अवदान नगर थाना झिझांना जनपद शामली

बरामदगी का विवरण-

(1) मो0सा0 रजि0 नं0- UP 11 CE 0431 (स्पलैण्डर प्लस),

(2) मो0सा0 रजि0 नं0 HR 05 AW 5988 (स्पलैण्डर)

(3) मो0सा0 रजि0 नं0 HR 05 AY 8574 (HF DELUX)

(4) हीरो स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट (चैसिस नं0 MBLHA10A9D9M इन्जन नं0 HA10ELD9L14480)

(5) मो0सा0 रजि0 नं0 HR 05 T 6912 (होण्डा साईन)

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास-

(1) मु0अ0सं0- 363/23 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0- 60/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व 411/420/465 भा.द.वि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर

(3) मु0अ0सं0- 115/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

(4) मु0अ0सं0- 203/24 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(5) मु0अ0सं0- 204/24 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(6) मु0अ0सं0- 205/24 धारा 411/414 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आजम उर्फ वारिश उर्फ निजू व शावेज

(1) मु0अ0सं0- 203/24 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0- 204/24 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(3) मु0अ0सं0- 205/24 धारा 411/414 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शकील

(1) मु0अ0सं0- 203/24 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0- 205/24 धारा 411/414 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सन्दीप सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. का0 922 वंश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः 31-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में "I LOVE GANGOH" के होर्डिंग के साथ तोड़फोड़ करने वाले अभियुक्त का शांति भंग में किया चालान

अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद गंगोह द्वारा कस्बा गंगोह में स्थापित "I LOVE GANGOH" के होर्डिंग के साथ एक व्यक्ति द्वारा तोड़फोड़ की गयी तथा तोड़फोड़ की वीडियो सोशल मीडिया (इस्टाग्राम) पर वायरल की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले तथा कस्बा गंगोह में नगर पालिका परिषद द्वारा सौंदर्यकरण हेतु लगाये गये "I LOVE GANGOH" होर्डिंग के साथ तोड़फोड़ करने वाले **अभियुक्त तसव्वर पुत्र तनवीर निवासी मौ0 टांकान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को नूर मस्जिद कस्बा गंगोह के पास से शान्ति भंग करने के सम्बन्ध में धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत गिरफ्तार कर चालान किया गया ।गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तसव्वर पुत्र तनवीर निवासी मौ0 टांकान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सन्दीप सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. कां0 1606 दीपक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20.05.24 को वादी द्वारा उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **1. अभिषेक पुत्र प्रेमचन्द निवासी ग्राम सालियार माधोपुर थाना तीतरो जिला सहारनपुर, 2. ओरल पुत्र दौलतराम निवासी बुड्ढाखेडा गुर्जर थाना रामपुर मनिवासी सहारनपुर 3. जीवनदास पुत्र बाबूराम निवासी उपरोक्त 4. अनित पुत्र नरेश निवासी उपरोक्त** द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध थाना हाजा पर **मु0अ0सं0 152/2024 धारा 363 भादवि** बनाम अभिषेक आदि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर नामजद अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज 31.05.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त **सन्नी पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मौहल्ला महाजनान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366 भादवि की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त सन्नी उपरोक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सन्नी पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मो0महाजनान कस्बा व थाना तीतरो जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर ।
2. है0का0 968 अरविन्द धामा थाना रामपुर मनिवासी सहारनपुर ।

दिनांक: 31-05-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी -1 जनपद सहारनपुर द्वारा दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2022 को वादी जसवीर पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी शमलेडी थाना शाह जनपद करनाल हरियाणा की बहन कविता को अभियुक्तगण **1-**नीरज पुत्र मदन **2-**मदन पुत्र बुल्ला **3-**श्रीमती पत्नी मदन नि**0**गण ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर द्वारा कम दहेज लाने के कारण प्रताडित करना व दहेज में अतिरिक्त गाडी व एक प्लॉट की मांग पूरी न होने पर गला दबाकर हत्या कर देने की सूचना पर मु**0**अ**0**स**0-53/2022** धारा **498**ए,**304**बी भादवि व **3/4** दहेज अधिनियम थाना चिलकाना पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं**0 907/2022** पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी-**1** जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक**,** सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी-**1** जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक **31.05.2024** को अभियुक्त नीरज पुत्र मदन मु**0**अ**0**स**0-53/2022** वैकल्पिक धारा **302,34** भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व **30** हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

1-मदन पुत्र बुल्ला **2-**श्रीमती पत्नी मदन को संन्देह का लाभ देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए**0**डी**0**जी**0**सी**0)** श्री सतीश सैनी
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अजेन्द्र सिंह यादव
पैरोकार हे**0**का**0 116** महेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 31-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः -

अवगत कराना है, कि दिनांक 21.6.2021 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त 1-राजू पुत्र गोपाल निवासी न्यू प्रकाष लोक कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा गाली-गलौच कर मारपीट करना व बलात्कार करना तथा जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0स0-203/2021 धारा 376,323,504,506,325 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1560/21 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-13 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे-13 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 31.05.2024 को अभियुक्त राजू पुत्र गोपाल को मु0अ0स0-203/2021 धारा 376,323,506,325 भादवि व 3/4 पोक्सों एक्ट का दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कारावास व 25 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री संजय मलिक
विवेचक उ0नि0 गौरव राठी
पैरोकार का0 शेखर कुमार थाना कुतुबशेर सहारनपुर।